गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 209
दि. 30.11.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

“दित्वा की दहाड़: समंदर से उठी तबाही की आंधी, श्रीलंका में मौत का सन्नाटा और दक्षिण भारत में डर का साया”

(जीएनएस)। दक्षिण एशिया इन दिनों प्रकृति के क्रोध का एक भयावह रूप देख रहा है। समंदर की सतह पर कई दिनों से उबलती ऊर्जा अब एक विशाल चक्रवाती तूफान ‘दित्वा’ के रूप में तटों की ओर बढ़ रही है। श्रीलंका में यह तूफान मौत और बर्बादी की ऐसी छाप छोड़ गया, जिसकी भरपाई वर्षों तक मुश्किल होगी। भारी बारिश, तेज हवाओं और अचानक उजड़े गांवों की कहानियों ने पूरे देश को दहशत में डाल दिया है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, कई गांव पानी में डूब गए हैं और पहाड़ों पर भूस्खलन से रास्ते गायब हो चुके हैं। इन्हीं भयावह परिस्थितियों के बीच 123 लोगों की मौत और 130 के लापता होने की पुष्टि ने पूरे क्षेत्र को शोक में डाल दिया। श्रीलंका में राहत-बचाव टीमें रात-दिन मलबे में दबे लोगों को तलाशने में जुटी हैं। कहीं रोते-बिलखते परिवारों की आवाजें हैं तो कहीं ढहे हुए घरों के पास खड़े लोग अपनी जिंदगी की बची-खुची उम्मीदें तलाश रहे हैं। इसी त्रासदी के बीच भारत की ओर से मदद पहुंचनी शुरू हो गई—खाद्य सामग्री, दवाएं और तात्कालिक राहत सामग्री भेजी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की इस आपदा पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए और अधिक सहायता का आश्वासन दिया।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती—क्योंकि दित्वा का अगला कदम भारत

की ओर है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि रविवार को यह तूफान भारत के तटों को छूता हुआ और तेज हो सकता है। 29 और 30 नवंबर का समय विशेष रूप से संवेदनशील माना जा रहा है। इसी को देखते हुए तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जिलों—कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू और पुडुचेरी—को रेड अलर्ट पर रखा गया है, जहां अगले 48 घंटे प्रकृति की परीक्षा की तरह बीत सकते हैं।

चक्रवात की यह तैयारी सिर्फ चेतावनियों तक सीमित नहीं है। तमिलनाडु के कई जिलों में आकाश में उड़ान भरने वाले विमानों पर भी इसका असर दिखा—54 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तटीय क्षेत्रों में शनिवार को ही तेज हवाओं और लगातार बरसते बादलों ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। रामेश्वरम में नौकाएं किनारों से बंधी रह गईं, दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर हलचल नाम मात्र की दिखी।

नागपट्टिनम और रामनाथपुरम जैसे जिलों में कई पेड़ गिर गए, बिजली ठप हो गई और लोग घरों में कैद होकर रह गए। ऐसे समय में राहत एवं बचाव दलों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तमिलनाडु सरकार ने युद्धस्तर पर तैयारी कर ली है—एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की कम से कम 28 टीमें तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य राज्यों से और टीमें हवाई मार्ग से बुलाने की योजना भी बनाई गई है। वायु सेना और तटरक्षक बल को भी सतर्क कर दिया गया है।

राज्य सरकार ने करीब 6,000 राहत शिविर तैयार कर दिए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हजारों लोगों को सुरक्षित ठौर दिया जा सके। भले ही अभी तक जान-माल का बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ। मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों के दिलों में चिंता भर दी है। प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है—घर में रहें, समुद्र से दूर रहें और अफवाहों से बचें। धनुषकोडी जैसे पर्यटन स्थलों को भी बंद कर दिया गया है, ताकि कोई जोखिम न ले।

दित्वा का यह अनचाहा सफर धरती और इंसानों के बीच एक बार फिर उसी पुरानी बहस को जन्म देता है—क्या हम प्रकृति से आगे निकलने की कोशिश में कहीं उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? मौसम का बिगड़ता संतुलन हमें लगातार संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में ऐसी चुनौतियां और कठोर होंगी। फिलहाल दक्षिण भारत की निगाहें आसमान और समुद्र दोनों पर टिकी हैं। घरों की छतों पर बजती बारिश की आवाज़ और दूर समुद्र से उठती तेज हवाओं के बीच लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं—कि यह तूफान बिना और नुकसान पहुंचाए गुजर जाए।

नई दिल्ली की अदालत में नेशनल हेराल्ड केस पर बढ़ी राजनीतिक हलचल: सोनिया–राहुल के खिलाफ चार्जशीट पर निर्णय अब 16 दिसंबर को, अदालत से सरकार तक सबकी निगाहें

(जीएनएस)। नई दिल्ली की सर्द सुबह में राऊज एवेन्यू कोर्ट परिसर के बाहर असामान्य हलचल महसूस की गई। मीडिया के कैमरे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और कानूनी विशेषज्ञ—सबकी नजरें एक ही सवाल पर टिकी थीं: क्या आज कोर्ट सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेगा?

लेकिन अदालत ने फैसला सुनाते हुए मामले को 16 दिसंबर तक स्थगित कर दिया। स्पेशल जज विशाल गोगने का यह छोटा-सा आदेश राजनीति और कानून दोनों में एक बड़ा इंतजार जोड़ गया है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले ने पिछले एक दशक से भारतीय राजनीति का तापमान बनाए रखा है। यह मुद्दा सिर्फ एक वित्तीय अनियमितता का आरोप नहीं, बल्कि इसे कई लोग आज़ादी के इतिहास, मीडिया संस्थान की विरासत और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के मिश्रण के रूप में देखते हैं। ईडी ने अपनी कार्रवाई में 6 सितंबर को कोर्ट में 2014 की शिकायत (जो सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दर्ज कराई गई थी) और 2021 के दस्तावेज पेश किए। एजेंसी का दावा है कि कांग्रेस पार्टी को दान देने वाले कई लोगों के साथ धोखा हुआ और कुछ मामलों में राजनीतिक लाभ—जैसे टिकट—भी इसी प्रक्रिया से प्रभावित हुए। यह दावा अदालत के गलियारों में जितना कानूनी सवाल है, उतना ही राजनीतिक विवाद भी।

वहीं, राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील आर. एस. चीमा ने अदालत में कहा कि एजेएल को बेचने का कभी इरादा नहीं था। उनका दावा था कि कांग्रेस ने एजेएल (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) को बचाया ताकि स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक धरोहर जीवित रह सके। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ईडी एजेएल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कोर्ट में पेश नहीं कर रही—जिसमें साफ लिखा है कि संस्था की नीतियां कांग्रेस की अधीन होंगी।

इस तर्क ने अदालत में एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या मामला आर्थिक अपराध का है, या इतिहास और राजनीति के बीच का संघर्ष?

सोनिया गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी की जांच “अनावश्यक रूप से जटिल” बना दी गई है। उनका तर्क था कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, लेकिन इसमें न कोई जब्त संपत्ति है, न ही पैसा कहीं ट्रांसफर होने का प्रमाण।

उनका बयान अदालत में गूंजा—“यंग इंडियन ने सिर्फ एजेएल को कर्जमुक्त करने का कानूनी तरीका अपनाया। इसमें अवैधता कहाँ है?”

बीच कोर्ट ने इस वर्ष 2 मई को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सात अन्य को नोटिस जारी किया था। ईडी ने 15 अप्रैल को अभियोजन शिकायत दाखिल की थी, और इस सूची में सैम पित्रोदा जैसे कांग्रेस के पुराने नीतिनिर्धारक भी शामिल हैं। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 44 और 45 के तहत आगे बढ़ रहा है, यानी कड़ी कानूनी प्रक्रिया लागू है।

बसों की ‘सील्ड ड्राइवर केबिन’ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कड़ी चेतावनी: यात्रियों की जान से खिलवाड़ पर देशव्यापी जांच, राज्यों को दो सप्ताह में जवाब देना अनिवार्य

(जीएनएस)। नई दिल्ली की सर्द शाम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से निकली एक सख्त चेतावनी ने देशभर की परिवहन व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। आयोग ने साफ कहा है कि सार्वजनिक बसों में ड्राइवर केबिन को लोहे–प्लाईबोर्ड की दीवारों से पूरी तरह बंद कर देना न सिर्फ एक तकनीकी भूल है, बल्कि यह यात्रियों के जीवन के अधिकार—अनुच्छेद 21—का सीधा उल्लंघन भी है।

देशभर में बढ़ती बस आग की घटनाओं और कई यात्रियों की जीवन रक्षा में नाकाम सरकारी व निजी बसों की संरचनात्मक खामियों ने आयोग को गहरी चिंता में डाल दिया है। आयोग के पास आई शिकायतों में बार-बार एक ही भयावह तस्वीर उभरकर आई—स्लीपर और एसी बसों में ड्राइवर यात्रियों से पूरी तरह अलग-थलग कर दिया गया है। केबिन के रास्ते पर मोटे दरवाजे, बंद पार्टिशन, और कभी-कभी धातु की प्लेटें—नतीजा यह कि किसी भी आपात स्थिति में चेतावनी देने, संवाद करने या यात्रियों को बाहर निकलने का मार्ग दिखाने तक की गुंजाइश खत्म हो जाती है।

आयोग ने इस गंभीर खतरे को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। पीठ की अध्यक्षता कर रहे सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बस आग की घटनाओं को मानवाधिकारों के सीधे उल्लंघन की

श्रेणी में रखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय तथा केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (CIRT), पुणे से दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट माँगी है।

CIRT की जांच ने यह साफ किया कि समस्या निर्माण स्तर से ही शुरू होती है। कई निजी बस बॉडी बिल्डर, फिटनेस अधिकारी और निर्माता नियमों की पूरी तरह अनदेखी कर रहे हैं।

जांच में पाया गया कि:

- ड्राइवर पार्टिशन को अवैध तरीके से बंद किया गया।
- 12 मीटर से अधिक लंबी बसों में पाँच अनिवार्य आपात निकासों की व्यवस्था ही नहीं की गई।
- 2019 से अनिवार्य FDSS—फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम—लगाना तो दूर, कई बसों में साधारण फायर एक्सटिंग्विशर तक की नियमित जांच नहीं होती।
- चेसिस एक्सटेंशन और स्लाइडर जैसे खतरनाक अवैध संशोधन बिना किसी अनुमति के किए जाते हैं।

CIRT ने स्पष्ट रूप से कहा कि ड्राइवर पार्टिशन हटाने और FDSS को अनिवार्य रूप से लागू कराने से कई हादसों को रोका जा सकता है। आयोग ने 14 अक्टूबर की एक बस आग दुर्घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह घटना “नियमों की खुली अनदेखी” का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आयोग ने दोषी निर्माता, बॉडी बिल्डर और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक लापरवाही (क्रिमिनल नेग्लिजेंस) की श्रेणी में कार्रवाई की जरूरत बताई।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सड़क परिवहन मंत्रालय से कड़े शब्दों में कहा है कि देशभर के राज्यों को एक समान सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने के लिए तत्काल एडवाइजरी भेजी जाए। साथ ही, एक स्थायी राष्ट्रीय निगरानी तंत्र बनाया जाए, जो अवैध बस डिज़ाइन, फायर सेफ्टी की चूक और फिटनेस प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी पर वास्तविक समय में नज़र रख सके।

राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे—

- CIRT की सिफारिशें तत्काल लागू करें,
- दोषी बॉडी बिल्डरों पर कार्रवाई करें,
- मृतक या घायल यात्रियों के परिजनों को मुआवजा दें,
- और दो सप्ताह में विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग को भेजें।

देश की सड़कें हर दिन लाखों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा बस की रफ्तार से नहीं, उसकी डिजाइन से तय होती है। जब ड्राइवर और यात्री के बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाए, तो किसी हादसे में मिनटों का फर्क नहीं, सेकंडों का फर्क जीवन और मृत्यु तय कर देता है।

आयोग की यह चेतावनी सिर्फ नियमों की याद दिलाना नहीं, बल्कि उस मूल अधिकार—जीवित रहने के अधिकार—की रक्षा का प्रयास है, जिसके बिना कोई भी यात्रा सुरक्षित नहीं हो सकती।

नई दिल्ली से देशभर के मतदाताओं के लिए एक बड़ी पहल: चुनाव आयोग ने ईसीआईनेट ऐप पर आम जनता से मांगे सुझाव, डिजिटल लोकतंत्र को मिलेगा नया स्वरूप

(जीएनएस)। नई दिल्ली में सर्द हवा के बीच लोकतंत्र की गर्मी बढ़ाने वाली एक खबर ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। चुनाव आयोग ने पहली बार देश के हर नागरिक, हर मतदाता और हर तकनीक–प्रेमी युवा से अपील की है कि वे नए ECINet ऐप को डाउनलोड करें और इसे बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव सीधे आयोग तक पहुँचाएँ। यह पहल न केवल तकनीकी बदलाव की ओर इशारा करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारत का लोकतंत्र अब पूरी तरह डिजिटल सहभागिता की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। आयोग ने 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक सुझाव देने की समयसीमा तय की है। यह अवधि उस तरह की है जैसे कोई घर बन चुका हो लेकिन अंदर की सजावट जनता को खुद तय करने दी जा रही हो, ताकि घर उनका लगे और उनकी जरूरतों के अनुसार ढल सके। चुनाव आयोग चाहता है कि यह प्लेटफॉर्म मतदाता सेवाओं, चुनावी पारदर्शिता और मतदान प्रक्रिया की गति — तीनों को एक नई ऊँचाई दे सके।

इस ऐप का परीक्षण बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और हाल के उपचुनावों के दौरान किया गया था। उस समय ईसीआईनेट ने अपनी क्षमता दिखाते हुए मतदान प्रतिशत के रुझानों को तुरंत उपलब्ध कराया और मतदान समाप्त होने के 72 घंटों के भीतर इंडेक्स कार्ड जारी कर दिए। यह तेज़ी और पारदर्शिता भारत की चुनाव प्रणाली में डिजिटल परिवर्तन की स्पष्ट आहट थी।

अब आयोग इसे और अधिक मजबूत बना रहा है। इसके लिए बिहार चुनावों से मिली सीख, चुनाव अधिकारियों—सीईओ से लेकर डीईओ, ईआरओ और पर्यवेक्षकों—की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया, और सबसे महत्वपूर्ण आम मतदाताओं और उपयोगकर्ताओं की राय को शामिल किया जा रहा है। चुनाव आयोग की मंशा साफ है: यह प्लेटफॉर्म भविष्य के चुनावों का डिजिटल मेरुदंड बनने वाला है—सरल, सुरक्षित और सबके लिए सुलभ।

आयोग इस ऐप का आधिकारिक लॉन्च जनवरी 2026 में करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की टीम इस पूरे डिजिटल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर आगे बढ़ा रही है। उद्देश्य स्पष्ट है—मतदाता की सुविधा, पारदर्शिता और भरोसे को नई ऊँचाई देना।

इसी के साथ, यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है और पारंपरिक 40 अलग-अलग चुनाव–संबंधी ऐप्स और वेबसाइटों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ देता है। चाहे वोटर हेल्प लाइन ऐप हो, सी-विजिल की शिकायत सेवा, पोलिंग ट्रेंड्स का डाटा हो, या नो–योर–कैंडिडेट—सब कुछ अब एक स्थान पर, एक क्लिक में उपलब्ध है।

देश के मतदाताओं के लिए यह सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि लोकतंत्र में सीधी भागीदारी का डिजिटल पुल है। आयोग की उम्मीद है कि जनता के सुझाव इस प्लेटफॉर्म को इतना मजबूत बना देंगे कि आगामी चुनावों में तकनीक और पारदर्शिता का नया युग शुरू हो जाएगा।

“सत्र से पहले सदन की धड़कन: आज सर्वदलीय बैठक, कल से शीतकालीन संसद का आगाज़”

(जीएनएस)। संसद के गलियारों में आज एक अलग ही हलचल है। उन कमरों में, जहां अक्सर बहसें गूंजती हैं, वहां आज संवाद और सहमति की उम्मीदें सजाई जा रही हैं।

देश की संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है, और उसके ठीक पहले सरकार ने सभी दलों को एक ही टेबल पर बैठाने का निर्णय लिया है। रविवार को होने वाली इस सर्वदलीय बैठक में एक बार फिर कोशिश होगी कि आने वाला सत्र सिर्फ राजनीतिक टकराव का मंच न बने, बल्कि उन कानूनों और मुद्दों पर सार्थक चर्चा का अवसर बने, जो देश के नागरिकों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक से पहले साफ संदेश दिया—सरकार सुनने के लिए तैयार है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। उनका कहना है कि यह बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि ऐसा मौका है जब विभिन्न पार्टियों की आवाज़ें, उनके सुझाव और उनकी चिंताएं एक साथ दर्ज होंगी। रिजिजू दोनों सदनों के सदस्यों के साथ इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा करेंगे ताकि सत्र सुचारू और उत्पादक रूप से चल सके।

आने वाला सत्र छोटा है—1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक। लेकिन छोटा होते हुए भी यह कई बड़े फैसलों की पृष्ठभूमि तैयार करता नजर आता है। सरकार की योजना है कि कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कर उन्हें पारित कराया जाए। सत्र के पहले ही दिन एक ऐसे विषय पर विशेष चर्चा का प्रस्ताव है, जिसने आज़ाद भारत की आत्मा को आकार दिया—‘वंदे मातरम्’। इस राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार चाहती है कि संसद एक पूरे दिन की चर्चा इस विषय को समर्पित करे।

बड़ी उम्मीदें, बड़े संदेश और बड़ी जिम्मेदारियां—ये तीनों इस सत्र की खासियत बनने वाली हैं। विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सत्ता पक्ष की। जहां सरकार चाहेगी कि सहयोग मिले, वहीं विपक्ष यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि जिन मुद्दों पर देश की नज़र है—महंगाई, बेरोज़गारी, सीमाई सुरक्षा, राज्यों का हिस्सा, तकनीकी कानून, किसान और सामाजिक न्याय—उन सभी पर बहस केवल कागज़ों पर न रहे, बल्कि उसके नतीजे भी बाहर आएं।

आज की सर्वदलीय बैठक असल में कल के सत्र का स्वर तय करेगी। संसद के दरवाज़े खुलने से ठीक पहले यह बातचीत इस बात का संकेत है कि लोकतंत्र में संवाद के बिना कोई सत्र सार्थक नहीं हो सकता।

अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या यह शीतकालीन सत्र सच में गर्मजोशी से भरा होगा—या बाहर की ठंडक संसद के भीतर भी बनी रहेगी।

संपादकीय

जहरीले कारोबार पर नकेल

आज सिर्फ पंजाब-हरियाणा ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी नशीले पदार्थों का बढ़ता घातक कारोबार गंभीर संकट की आहट सुना रहा है। आये दिन विभिन्न राज्यों में नशीले पदार्थों की बड़ी-बड़ी खेप बरामद होना इस संकट की भयावह तस्वीर उकेरता है। अब वयस्क ही नहीं, किशोर भी नशे की चपेट में आ रहे हैं। फिर वे अपने नशे के लिए पैसा जुटाने को अपराध की गलियों से गुजरने में गुरेज नहीं करते। हाल ही के कुछ गंभीर अपराधों का खुलासा होने पर किशोरों ने स्वीकार किया कि वे नशे हेतु पैसा जुटाने के लिए अपराध करने निकले थे। कमोबेश, ऐसा ही संकट नकली दवाइयों की आपूर्ति का भी है। पिछले दिनों देश के कई राज्यों में घातक कफ सिरप पीने से कई बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। इस आसन्न संकट को महसूस करते हुए नकली दवाइयों और मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए सात राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलरों, पुलिस और सीआईडी अधिकारियों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन चंडीगढ़ में आयोजित किया गया, जिसका मकसद इन अधिकारियों को एक मंच पर लाकर कार्रवाई को अधिक कारगर बनाना था। इस रणनीतिक महत्व के सेमिनार का आयोजन हरियाणा के खाद्य और औषधि प्रशासन ने किया था, जिसका मकसद सीमावर्ती राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, सूचना साझेदारी और तेज प्रवर्तन तंत्र विकसित करना था। यह स्वागत योग्य है कि देश में पहली बार सात राज्यों ने इस संकट को महसूस करते हुए इस दिशा में साझी पहल की। उल्लेखनीय है कि इस पहल में सीमावर्ती राज्यों पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड व दिल्ली, महाराष्ट्र तथा हरियाणा के औषधि नियंत्रकों व वरिष्ठ अधिकारियों समेत 70 अधिकारियों ने भाग लिया। इन अधिकारियों ने अनुभव साझा करके भविष्य के लिए कारगर रणनीति को अंजाम देने पर गंभीर मंथन किया। बैठक में स्वीकार किया गया कि नशीले पदार्थों व नकली दवाइयों का कारोबार मात्र एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि इससे कई राष्ट्रीय मुद्दे भी जुड़े हैं।

इसमें दो राय नहीं कि देश के लिए घातक साबित हो रहे नशे के कारोबार पर अंकुश राज्यों के संयुक्त प्रयासों से ही संभव है। इसके लिए जरूरी है कि विभिन्न राज्यों के जिम्मेदार अधिकारी समय-समय पर इससे जुड़े डेटा साझा करने, पारदर्शी समन्वय और 'एक टीम, एक रणनीति' पर काम करें। साथ ही जरूरी है कि संबंधित अधिकारी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करें। इस दौरान सात राज्यों के अधिकारियों ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग रोकने व नकली दवाइयों पर रोक लगाने के लिए सहयोग करने पर सहमति जतायी। इस नई चुनौती के मुकाबले के लिए विशेष प्रशिक्षण और सात राज्यों के ड्रग कंट्रोलरों और पुलिस अधिकारियों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान पर सहमति बनी। इसमें दो राय नहीं कि यह जहरीला कारोबार सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं है बल्कि विभिन्न राज्यों के बीच साझा चुनौती बना हुआ है, जिसका मुकाबल डेटा साझेदारी और पारदर्शी समन्वय से ही संभव है। खासकर सीमावर्ती राज्यों को तो अंतर्राष्ट्रीय व अंतरराज्यीय तस्करों से मुकाबले के लिए मिलकर काम करना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि चंडीगढ़ में आयोजित सेमिनार के निष्कर्ष राज्य व केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया ताकि साझी रणनीति तय की जा सके। दरअसल, हाल के दिनों में पंजाब व देश के समुद्री सीमा से जुड़े राज्यों में नशीले पदार्थों की जो बड़ी खेपें बरामद हुई हैं, उसने पूरे देश की चिंता बढ़ाई है। सवाल यह भी उठा है कि यदि नशीले पदार्थों की इतनी बड़ी मात्रा बरामद हुई है तो चोरी-छिपे कितनी बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ देश में पहुंच रहा होगा। पंजाब के सीमावर्ती जिलों में सीमा पार से ड्रोन के जरिये लगातार नशीले पदार्थ व हथियार भेजने के मामले प्रकाश में आए हैं। संकट का एक पहलू यह भी है कि सीमावर्ती जिलों में किशोरों को नशे की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब सरकार के विशेष अभियान के दौरान भी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी हुई है। अनेक तस्कर व दोहरी भूमिका निभाने वाले पुलिस कर्मियों तक भी कानून के हाथ पहुंचे हैं।

वंदे मातरम, जय हिंद नारों को लेकर राज्यसभा सचिवालय ने जो कहा वो ठीक है या विपक्ष के आरोप सही हैं?

> वंदे मातरम को लेकर विवाद के बीच, विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि यह दिशानिर्देश नया नहीं है बल्कि संसद की पुरानी परंपरा का हिस्सा है। 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष ने सदन में किसी भी प्रकार के नारे— 'थैंक यू', 'जय हिंद', 'वंदे मातरम', को अनुपयुक्त बताया था।

वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देशभर में जारी कार्यक्रमों की श्रृंखला के बीच ही राष्ट्रीय गीत को लेकर एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। दरअसल, राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी एक प्रोटोकॉल नोट को विपक्षी दलों ने ''वंदे मातरम विरोध'' की कोशिश बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। यह विवाद उस समय उभरा जब एक संसदीय बुलेटिन में सांसदों को यह याद दिलाया गया कि सदन के भीतर किसी भी प्रकार के नारे— चाहे 'जय हिंद', 'वंदे मातरम' हो या अन्य, लगाना संसदीय शिष्टाचार के विरुद्ध है। विपक्ष ने इसे आधार बनाकर केंद्र सरकार पर राष्ट्रगीत और देशभक्ति के नारों पर रोक लगाने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ''आखिर 'वंदे मातरम' और 'जय हिंद' जैसे नारे लगाने में आपत्ति किस बात की है? ब्रिटिश शासन को तो इन नारों से समस्या थी, क्या अब भाजपा को भी वही समस्या हो गई है?'' उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को ब्रिटिश शासन ने कई बार प्रतिबंधित किया था और इसे गाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार तक किया गया था।

इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस विवाद में कूदते हुए चिंता जताई कि संसद में ''जय हिंद'' और ''वंदे मातरम'' पर कथित रोक क्या बंगाल की पहचान को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने कहा, ''वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, इसे कैसे भुलाया जा सकता है?''

दूसरी ओर, विवाद के बीच, विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि यह दिशानिर्देश नया नहीं है बल्कि संसद की पुरानी परंपरा का हिस्सा है। 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष ने सदन में किसी भी प्रकार के नारे— 'थैंक यू', 'जय हिंद', 'वंदे मातरम', को अनुपयुक्त बताया था। 1962 में लोकसभा में भी यही परंपरा दोहराई गई, जब स्पीकर ने नारेबाज़ी को ''जनसभा जैसा व्यवहार'' करार दिया था। ये नियम दशकों से प्रचलित हैं और हर सत्र से पहले जारी होने वाले बुलेटिन में इनका उल्लेख किया जाता रहा है।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच यह तथ्य भी स्पष्ट है कि बुलेटिन किसी भी सरकार के निर्देश पर नहीं बल्कि सदन के सभापति या अध्यक्ष की परंपरागत अधिकारिता के तहत जारी किया जाता है और इसका उद्देश्य केवल संसदीय मर्यादा बनाए रखना है।

देखा जाये तो राज्यसभा सचिवालय के एक नियमित नोट को लेकर जिस प्रकार विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और ममता बनर्जी, ने केंद्र सरकार पर ''वंदे मातरम विरोध'' का आरोप लगाया है, वह तथ्यहीनता और राजनीतिक अवसरवाद का उदाहरण है। संसदीय परंपराएँ किसी दल की ''मर्जी'' से नहीं, दशकों की संवैधानिक प्रक्रिया से बनती हैं। 1948 से लेकर आज तक सदन के भीतर नारे लगाने पर रोक सिर्फ इसलिए है कि संसद जनसभा नहीं; यहाँ तर्क, विमर्श और गरिमा की अपेक्षा होती है। यह परंपरा तब भी लागू थी जब कांग्रेस सत्ता में थी; आज भी लागू है।

फिर भी कांग्रेस का आक्रोश समझ से परे है। यह वही पार्टी है जिसने 1930–40 के दशक में वंदे मातरम को अपने भीतर ही विवाद का केंद्र बना दिया था और अंततः 1935 में इसे ''छाँट'' कर अपनाया, ताकि वह कुछ विशेष तबकों को नाराज़ न कर दे। आज वही कांग्रेस इस गीत को लेकर ''आहत भाव'' का दावा करते हुए दिखाई दे रही है।

ममता बनर्जी का रुख भी कोई नया संदेश नहीं देता। वे वर्षों से राष्ट्रीय प्रतीकों और नारों से सावधानी बरतती रही हैं, यह सोचकर कि कहीं उनका राजनीतिक आधार इससे प्रभावित न हो जाए। किंतु जब पुरानी संसदीय परंपरा पर आधारित एक बुलेटिन सामने आता है, तो अचानक उन्हें ''बंगाल की पहचान'' की चिंता सताने लगती है। यह चिंता वास्तविक से अधिक राजनीतिक प्रतीत होती है।

यहाँ मूल प्रश्न यह नहीं है कि कौन ''वंदे मातरम'' के पक्ष में है और कौन नहीं, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है और समस्त राष्ट्र इसका सम्मान करता है। असली प्रश्न है कि क्या राष्ट्रीय भावनाओं का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जाना चाहिए? देखा जाये तो राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन राष्ट्रीय प्रतीकों पर झूठा विवाद खड़ा करना लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करता है। संसद की परंपराओं पर उंगली उठाने से पहले विपक्ष को अपने ऐतिहासिक रुख पर भी नजर डालनी चाहिए। वंदे मातरम का 150वाँ वर्ष हमें यह याद दिलाता है कि यह गीत विभाजन नहीं, संघर्ष, समर्पण और एकता का प्रतीक है। राजनीतिक आरोपों की धूल हटाकर देखें तो यही संदेश सबसे साफ दिखाई देता है।

प्रेरणा

जब बुराई शिक्षक बन गई: शेख़ सादी का अनोखा जीवन-मंत्र

ईरान की फ़िज़ाओं में अक्सर एक नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है—शेख़ सादी। वे सिर्फ़ कवि नहीं थे, बल्कि ऐसे जीवन-दर्शी थे जिनकी बातों में सदीयों की समझ और अनुभव छलकता था। एक बार की बात है, किसी दरगाह के बाहर टहलते हुए उनसे एक व्यक्ति मिला। वह सादी की लोकप्रियता और उनकी प्रशंसा से पहले ही प्रभावित था, लेकिन उसके मन में एक बड़ी उलझन भी थी। उसने आगे बढ़कर कहा,

"हुज़ूर, लोग कहते हैं कि आपमें कोई कमी ढूँढ़े भी नहीं मिलती। आप इतनी अच्छाइयाँ कहाँ से लाए? कौन-सी किताब, कौन-सा गुरू, कौन-सी पूजा-पद्धति ने आपको इतना महान बना दिया?"

सादी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। वह मुस्कान अपने आप में एक कहानी जैसी थी—गहरी, समझदार और बिल्कुल शांत। फिर उन्होंने धीरे से कहा, "यह सब मैंने बुरे लोगों से सीखा है।"

जवाब सुनते ही वह व्यक्ति ऐसे चौंका जैसे किसी ने उसके सामने पत्थर गिरा दिया हो। उसे लगा कि शायद उसने ठीक से सुना नहीं। उसने दोबारा पूछा, तो सादी वही शब्द दोहरा देते हैं—"हाँ, मैंने सारी अच्छाइयाँ बुरे लोगों से ही सीखी हैं।"

अब तो वह आदमी पूरी तरह विचलित हो गया। उसके मन में सवालों की भीड़ उमड़ने लगी। "हुज़ूर, यह कैसे संभव है? बुरे लोगों से कोई अच्छाई कैसे सीख सकता है?"

सादी धीरे-धीरे चलते हुए उसे अपने साथ ले गए। रास्ते में एक सूखी झाड़ी खड़ी थी, जिसमें कांटे ही कांटे थे। सादी ने उसकी ओर इशारा किया और बोले,

"देखो, यह झाड़ी तुम्हें क्या देती है—कांटे, चोट, बेचैनी। लेकिन इसी झाड़ी ने मुझे यह सिखाया कि मुझे कैसा नहीं बनना है। जिस व्यक्ति में मैंने झूठ देखा, मैंने यह तय किया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। जिस आदमी में मैंने लालच देखा, मैंने वहीं पक्का किया कि मुझे लालची बनने से बचना है। किसी में क्रोध देखा, किसी में अभिमान—तो वे सब मेरे लिए चेतावनियाँ बन गए। दुनिया की हर बुराई ने मुझे बताया कि मुझे किस रास्ते पर नहीं जाना है।"

कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद सादी रुके और कहने लगे,

"लोग सोचते हैं कि अच्छाई कोई वरदान है, किसी संत का आशीर्वाद है, या किसी किताब का ज्ञान है। लेकिन नहीं अच्छाई तो एक जागरूकता है—दूसरों को देखकर अपने भीतर कुछ बदलने की इच्छा। मैं हर दिन लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ—बहुतों से कि क्या करना चाहिए, और कुछ से कि क्या नहीं करना चाहिए। दोनों ही मेरे गुरू हैं। फर्क इतना है कि एक मुझे सही रास्ता दिखाते हैं और दूसरे मुझे गलत रास्ते से बचाते हैं।"

हवा में एक अनोखी खामोशी उतर आई। उस व्यक्ति की आँखों में अब विस्मय नहीं, सम्मान था। उसे समझ में आ गया था कि सादी की अच्छाइयाँ किसी चमत्कार की देन नहीं थीं, बल्कि निरंतर सीखने और आत्म-चिंतन की देन थीं।

सादी ने विदा लेते समय उससे सिर्फ़ इतना कहा,

"दुनिया में कोई भी इंसान व्यर्थ नहीं। हर किसी के भीतर कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे हम सीख सकते हैं। अच्छाइयाँ अपने आप नहीं आतीं उन्हें चुनना पड़ता है। और बुराइयाँ हमें यह बताती हैं कि क्या नहीं चुनना।"

वह व्यक्ति लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा। उसे लगा कि आज उसने जीवन की सबसे बड़ी सीख पा ली—

दुनिया की बुराइयाँ हमें गिराने के लिए नहीं, हमें सँभालने और हमें बेहतर बनाने के लिए भी होती हैं—अगर हम उन्हें सीख की तरह देख सके।

श्रीराम मन्दिर ध्वजारोहण पर पाकिस्तान की बौखलाहट

पाकिस्तान की भारत-निंदा की आदत कोई नई नहीं है; यह उसकी कूटनीति एवं संकीर्ण सोच का स्थायी चरित्र बन चुकी है। ऐसा शायद ही कोई अवसर हो जब भारत की बढ़ती शक्ति, बढ़ती साख और सांस्कृतिक उन्नयन का प्रभावी दृश्य उभरे और पाकिस्तान उसमें संकुचित मानसिकता से भरी त्रासद टिप्पणियां न करे, विरोध का वातावरण न बनाए या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अनर्गल आरोपों का पुलिंदा न खोले। हाल ही में अयोध्याजी में श्रीराम मंदिर पर हुए ध्वजारोहण समारोह को लेकर उसकी बौखलाहट इसी मानसिक दिवालियापन का ताज़ा उदाहरण है। भारतीयता के स्वाभाविक सद्भाव में सेंध लगाने का कोई अवसर पाकिस्तान हाथ से नहीं जाने देता। यह केवल एक धार्मिक समारोह नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, सभ्यता-स्मृति और सांस्कृतिक स्वाभिमान का वह क्षण था जिसने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। पाकिस्तान ने इस ऐतिहासिक घटना का विरोध ही नहीं किया बल्कि इसे संयुक्त राष्ट्र तक ले जाकर शिकायत की, जैसे उसे भारत के हर आंतरिक मामले में बाधा डालना ही अपनी कूटनीतिक जिम्मेदारी समझ में आता हो। इससे पहले भी उसने राम मंदिर निर्माण के अवसर पर अनर्गल विरोध दर्ज कराया था। यह उसका वह ढर्रा है जो भारत के सांस्कृतिक उत्थान एवं उन्नयन की किसी भी झलक को देखकर सहन नहीं कर पाता। पूरे कुतर्क एवं कुचेष्टाओं के साथ अपने बयान में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने आरोप लगाया है कि श्रीराम मन्दिर का ध्वजारोहण भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव बनाने की व्यापक प्रवृत्ति का परिणाम है। वैसे, दुनिया जानती है कि किस देश में अल्पसंख्यक ज्यादा दबाव में हैं। आज के समय में पाकिस्तान में बमुश्किल 50 लाख हिंदू बचे हैं, अन्य अल्पसंख्यक सिख और ईसाई तो न के बराबर हैं। पश्चिमी पाकिस्तान में बंटवारे से पहले करीब 15 प्रतिशत हिंदू रहा करते थे, पर बंटवारे के बाद हिंदुओं की संख्या 2 प्रतिशत के आसपास आ सिमटी। दूसरी ओर, भारत में 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम हैं, इनकी संख्या अन्य अल्पसंख्यकों के साथ तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान की ओर से यह फिजूल टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब पाकिस्तान खुद लंबे समय से हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदिया मुसलमानों सहित दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का केंद्र बना हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में पूरे पाकिस्तान में ईसाइयों और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा व उत्पीड़न जारी रहा है।

सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली कहावत के अनुसार पाकिस्तान की यह दखलअंदाजी केवल अस्वीकार्य ही नहीं, बल्कि उसकी दोहरी मानसिकता और पाखंडी चरित्र को भी उजागर करती है। विडंबना यह है कि जो देश स्वयं अपने ही नागरिकों को सुरक्षित रखने में असमर्थ है, जो अपने ही अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता रहा है, वह भारत में मुसलमानों के अधिकारों की चिन्ता में रातभर जागने का अभिनय कर रहा है। वह देश, जहां हिंदुओं की आबादी 1947 से लेकर आज तक लगभग समाप्त होने की कगार पर पहुँच चुकी है, जहां सिखों पर अत्याचार के अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं, जहां ईसाइयों की प्रार्थना सभाओं को अक्सर हिंसा का निशाना बनाया जाता है, वह भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों पर प्रवचन देने का नैतिक अधिकार कैसे प्राप्त कर सकता है? पाकिस्तान की विश्वसनीयता इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि उसकी हर शिकायत एक राजनीतिक नौटंकी से अधिक कुछ नहीं रह जाती।

पाकिस्तान के इस व्यवहार के पीछे भारत के बढ़ते आत्मविश्वास, उभरती वैश्विक प्रतिष्ठा और मजबूत होती राष्ट्र-चेतना का भय साफ दिखाई देता है। भारत आज जिस तेज़ी से विश्व राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है, उसकी आर्थिक शक्ति जितनी तेज़ी से बढ़ रही है और जिसके सांस्कृतिक और सभ्यतागत विमर्शों को वैश्विक स्तर पर सम्मान मिल रहा है, वह पाकिस्तान की बेचैनी का मूल कारण है। पाकिस्तान यह समझ चुका है कि भारत केवल राजनीतिक या आर्थिक शक्ति के रूप में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में भी उभर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्निर्माण और इसके साथ जुड़ी सांस्कृतिक चेतना भारतीय समाज के भीतर एक नई एकता, नई ऊर्जा और एक नए आत्मसम्मान का निर्माण कर रही है। यही वह शक्ति है जिसे पाकिस्तान सबसे अधिक डरता है क्योंकि एक आत्मविश्वासी, एकजुट और संस्कृति-प्राण भारत उसकी कट्टरपंथी राजनीति और भारत-विरोधी साजिशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान की ओर से जो 'बुकलेट्स' और 'शिकायतें' अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पेश की जाती हैं, वे वस्तुतः उसकी असफल विदेश नीति का प्रमाण-पत्र हैं। एक ऐसा देश, जो आज आर्थिक दिवालियापन, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद की जड़ों में स्वयं फंसा हुआ है, वह भारत के आंतरिक धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक संकट बनाने का हास्यास्पद प्रयास करता है। उसका यह व्यवहार न केवल हस्तक्षेपकारी है, बल्कि उकसाने वाला भी है। भारत इन सब निराधार आरोपों को न केवल तथ्यात्मक रूप से खारिज करने में सक्षम है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हर मंच पर सटीक जवाब देने की तैयारी भी रखता है। भारत की नीति स्पष्ट है, वह किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता, परंतु अपने आंतरिक मामलों पर किसी की दखलंदाजी भी स्वीकार नहीं करता। भारत की आंतरिक नीतियाँ संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था से संचालित होती हैं। यहां का अल्पसंख्यक समुदाय किसी भी अन्य समुदाय की तरह समान अधिकारों का उपभोग करता है।

अभियान

जब अग्नि बने भक्ति का सेतु: खंडेराव मंदिर की 400 साल पुरानी अग्नि-यात्रा

भारत की मिट्टी में ऐसी अनगिनत कहानियाँ दबी हैं, जो सिर्फ़ धार्मिक परंपराएँ नहीं बल्कि मनुष्य के विश्वास, साहस और समर्पण की जीवित मिसालें हैं। मध्य प्रदेश के सागर से लगभग 65 किलोमीटर दूर देवरी नगर में स्थित प्राचीन श्री देव खंडेराव मंदिर की अग्नि-यात्रा ऐसी ही एक कहानी है—एक ऐसी कहानी जिसमें आग सिर्फ़ तपती नहीं, बल्कि भक्तों के विश्वास को परखने वाली पवित्र राह बन जाती है।

हर साल अगहन मास की चंपा षष्ठी से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ अग्नि मेला लगता है। दूर-दूर से आए लोग मंदिर के प्रांगण में जमा होते हैं। हवा में हल्दी और धूप की खुशबू, ज़मीन पर फैले पीले वस्त्रों का उजास, और ऊपर आसमान में गूंजती "जय खंडेराव!" की आवाज़—पूरा माहौल किसी लोक-कथा की तरह चमक उठता है।

लेकिन जो दृश्य सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, वह अग्निकुंड है। कई फीट लंबा, अंगारों से बिल्कुल दहकता हुआ—लाल, चमकीला और तीखी गर्मी से कंपन देता हुआ। और फिर सैकड़ों श्रद्धालु, जिनमें से इस वर्ष लगभग 300 भक्त, उन अंगारों पर नंगे पैर नौ कदम चलते हुए निकलते हैं। बिना चीख, बिना जलन, बिना दर्द—सिर्फ़ विश्वास की रोशनी लिए।

चार सौ साल पहले देवरी के राजा यशवंत राव के घर अचानक भारी संकट आ खड़ा हुआ था। उनका पुत्र—जिसे वे राज्य का भविष्य मानते थे—अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। चिकित्सकों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, बड़े-बड़े वैद्य बुलाए गए, जड़ी-बूटियों से लेकर राजपूजाओं तक सब हुआ, लेकिन बीमारी ने मानो हार मानने से इंकार कर दिया।

राजा रातों को जागकर अपने बच्चे के सिरहाने बैठते, साँसों को गिनते और किसी चमत्कार की उम्मीद करते। और एक ऐसी ही रात में, जब वे थकान और चिंता के बीच सो गए, तब उन्हें एक दिव्य स्वप्न हुआ।

स्वप्न में भगवान देव खंडेराव उनके सामने प्रकट हुए। उनका स्वर शांत था, लेकिन आदेश की शक्ति से भराः

"राजन, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित रहेगा।
तुम हल्दी का हाथी चढ़ाकर, सच्चे मन से पूजा करो
और मेरे अग्निकुंड से नंगे पैर होकर निकलो।
तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे पुत्र का औषध होगा।"

सुबह होते ही राजा ने बिना एक पल गंवाए मंदिर का रुख किया। विशाल अग्निकुंड तैयार हुआ। मंत्रों के बीच वे नंगे पैर अंगारों पर उतरे, उनके कदम हल्के थे और मन एक ही बात कह रहा था—"मेरे पुत्र की रक्षा भगवान करेंगे।"

कहते हैं कि राजा के लौटते ही बच्चे की हालत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। यही वह क्षण था जब इस परंपरा की नींव रखी गई—और आज भी लोग बताते हैं कि यह सिर्फ़ उत्सव नहीं, बल्कि विश्वास का जीवंत चमत्कार है।

अग्नि पर चलने वाला हर भक्त जानता है कि वह सिर्फ़ आग नहीं पार कर रहा, बल्कि अपनी मन्नत, अपनी कृतज्ञता और अपनी आध्यात्मिक परीक्षा पूरी कर रहा है।

नौ कदम भगवान खंडेराव के नौ देव रूपों का प्रतीक माने जाते हैं।

माना जाता है कि जिस व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है, वह ठीक नौ कदम चलकर अपनी कृतज्ञता अर्पित करता है।

हाथ में हल्दी, शरीर पर पीले वस्त्र और चेहरे पर पूर्ण समर्पण—यह दृश्य जितना रोमांचक है, उतना ही आध्यात्मिक भी।

अगहन मास की चंपा षष्ठी से यह मेला शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है।

लेकिन सबसे अद्भुत क्षण वह होता है जब दोपहर 12 बजे सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर गिरती है।

यह क्षण मानो ब्रह्मांड की ओर से संकेत हो कि अग्नि-यात्रा स्वीकृत है।

इसके बाद अग्निकुंड की पूजा होती है, हल्दी छिड़की जाती है और पीले धागों की लहर हवा में नाचती है। फिर एक-एक करके भक्त अग्निकुंड में उतरते हैं और नौ कदम नापते जाते हैं।

जो लोग वर्षों से इस परंपरा को देखते आ रहे हैं, वे कहते हैं—

"जिसके दिल में छल, डर या संदेह का एक कण भी न हो, उसे अग्नि छू नहीं सकती।"

कई बार वैज्ञानिक भी आए, उन्होंने अंगारों की तपिश मापी, चश्मों से देखा

पर जब मुख्य बात आती है—विश्वास की—तो विज्ञान भी स्वीकार करता है कि कभी-कभी मानवीय विश्वास मनोविज्ञान और शरीर को ऐसी शक्ति दे देता है जो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं होती।

और भक्त तो यही कहते हैं—

"यह अग्नि नहीं, भगवान का प्रसाद है। हम उससे डरते नहीं, उस पर भरोसा करते हैं।"

अग्नि का वह अर्थ जो सिर्फ़ देवरी जानता है

देवरी के लोग मानते हैं कि यह अग्नि परीक्षा नहीं—अग्नि-संयोग है।

एक ऐसा संयोग जिसमें
मनुष्य का विश्वास
और भगवान की कृपा
एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं।

अंगारों पर चलने वाले लोगों के चेहरे पर जो प्रकाश होता है, वह सिर्फ़ उत्साह नहीं—वह वह चमक है जो किसी व्यक्ति में तब उतरती है जब वह अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा पूरी करता है।

खंडेराव मंदिर का अग्नि मेला इस बात का जीता-जागता प्रमाण है कि
जब दिल पूरी तरह समर्पित हो जाए, तो आग भी राह बन जाती है—और मनुष्य का हर कदम एक चमत्कार बन जाता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल गुजरात वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (जीसीसीआई) के वार्षिक स्नेहमिलन में उपस्थित रहे

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 की मेजबानी अहमदाबाद और गुजरात के लिए विकास के नए द्वार खोलेगी
- विकसित भारत@1947 के प्रधानमंत्री के सपने में गुजरात नए चिह्न अंकित करेगा
- वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट जैसे आयोजनों से स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा
- प्रधानमंत्री के प्रयासों से आज चिप से लेकर शिप तक के उद्योगों के कारण गुजरात सही अर्थ में देश का ग्रोथ इंजन बना

उद्योग एवं अध्यात्म के समन्वय से भारत विकसित राष्ट्र तथा विश्वगुरु बनेगा : पू. ज्ञानवत्सल स्वामी

मुख्यमंत्री के करकमलों से जीसीसीआई एन्युअल ट्रेड एक्सपो के द्वितीय संस्करण गेट-2026 के लोगो का अनावरण किया गया

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को अहमदाबाद में आयोजित गुजरात वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (जीसीसीआई) के वार्षिक स्नेहमिलन अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा गृह मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों से अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 की मेजबानी मिली है, जो अहमदाबाद में विकास के नए बेंचमार्क सेट करेगी। इतना ही नहीं; इससे वर्ष 2036 में गुजरात में ओलंपिक खेलों के आयोजन के द्वार भी खुले हैं।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री की कार्यशक्ति के फल गुजरात को सदा-सर्वदा मिलते रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने हर क्षेत्र की क्षमता पहचान कर राज्य में व्यापार-उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण, आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित ढाँचागत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की थी, जिसके परिणामस्वरूप गुजरात आज देश का ग्रोथ इंजन बना है।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2035 में गुजरात@75 की चर्चा करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के दिखाए मार्ग पर चलकर विकसित भारत@2047 के प्रधानमंत्री के सपने में गुजरात नए चिह्न अंकित करेगा ही।

राज्य की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए श्री पटेल ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य में हर क्षेत्र के विकास की नींव डाली थी, जिसके कारण आज गुजरात में चिप से लेकर शिप तक का उत्पादन हो रहा है। सबको साथ रखकर राज्य को विकास के मार्ग पर अग्रसर रखने के लिए प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' तथा 'लोकल फॉर ग्लोबल' मंत्र का अनुकरण राज्य में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट का प्रारंभ किया गया है।

मुख्यमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण में जीसीसीआई सहित व्यापार-उद्योगों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण के लिए राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने में सभी से स्वदेशी का मंत्र अपना कर अपना योगदान देने का अनुरोध किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के करकमलों से जीसीसीआई द्वारा वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले जीसीसीआई एन्युअल ट्रेड एक्सपो के द्वितीय संस्करण गेट (जीएटीई)-2026 के लोगो का अनावरण तथा पू. ज्ञानवत्सल स्वामी लिखित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। स्नेहमिलन में उपस्थित बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था (बीएपीएस) के डॉ. ज्ञानवत्सल स्वामी ने इस सम्मेलन को उद्योग एवं अध्यात्म का समन्वय बताया। उन्होंने जी-20 समिट तथा दूसरे दिन राम मंदिर पर ध्वजारोहण के दोनों प्रसंगों में प्रधानमंत्री की उपस्थिति की तुलना विकास तथा भारत के विश्वगुरु बनने की दो समानांतर चलने वाली प्रक्रिया के साथ की। उन्होंने समाज में स्थिरता तथा गुणी व्यक्तियों के निर्माण के लिए उद्योग एवं अध्यात्म के समन्वय पर बल दिया।

इस अवसर पर जीसीसीआई के अध्यक्ष श्री संदीपभाई इंजीनियर ने वर्ष 2030 में आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद-गुजरात को मिलने पर मुख्यमंत्री सहित समग्र टीम गुजरात को अभिनंदन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में जीसीसीआई हर संभव सहयोग देगा। उन्होंने इसके लिए जीसीसीआई द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण दिया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज राज्य में बिजनेस फ्रेंड्ली वातावरण का निर्माण हुआ है। उन्होंने व्यापारिक इकाइयों से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निवारण व सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर जीसीसीआई द्वारा आगामी वर्ष आयोजित होने वाले जीसीसीआई एन्युअल ट्रेड एक्सपो-गेट के द्वितीय संस्करण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल रिसाइकलिंग एक्सपो-ग्रीन्स तथा फार्म टु फैशन एवं ग्रेजर फेस्ट के बारे में और आयोजन की जानकारी वीडियो फिल्म के माध्यम से दी गई।

इस कार्यक्रम में अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन, स्थानीय विधायकगण, जीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष श्री अजयभाई पटेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजेशभाई गांधी, पदाधिकारी, विभिन्न समितियों के अध्यक्ष तथा जीसीसीआई के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने विकसित भारत के सपने को पूरा करने में भारतीय रेल एवं गतिशक्ति विश्वविद्यालय के योगदान को महत्वपूर्ण बताया

(जीएनएस)। माननीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज वडोदरा स्थित गतिशक्ति विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांफ्रेंस हॉल में गतिशक्ति विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों एवं वडोदरा मंडल के अधिकारिओं को सम्बोधित किया। श्री रवनीत सिंह ने गतिशक्ति विश्वविद्यालय की टीम एवं वडोदरा मंडल के अधिकारिओं से माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान, समर्पण और प्रतिबद्धता का आवाहन किया। उन्होंने वडोदरा मंडल की उपलब्धियों की सराहना करते हुए इसे बेस्ट डिवीज़न बताया।

इस बैठक में गतिशक्ति विश्वविद्यालय के वाईस चांसलर प्रोफेसर मनोज चौधरी ने माननीय रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह को प्रेजेंटेशन के माध्यम से गतिशक्ति विश्वविद्यालय की प्रगति और अचीवमेंट की जानकारी दी। प्रोफेसर चौधरी ने माननीय राज्य मंत्री को बताया कि परिवहन एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र में भारत का अग्रणी विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी), 2022 में संसद के अधिनियम द्वारा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। रेल मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन कार्यरत, यह विश्वविद्यालय रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाह, विमानन, समुद्री, नौवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग, शहरी परिवहन और संपूर्ण रसद एवं आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क सहित संपूर्ण परिवहन क्षेत्र को कवर करता है। विश्वविद्यालय के चांसलर श्री अश्विनी वैष्णव (केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री) हैं। प्रोफेसर चौधरी ने आगे बताया कि हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सफ्रान ने विमानन और एमआरओ क्षेत्र के लिए इंडस्ट्री रेडी पेशेवरों को तैयार करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। इस MOU के माध्यम से, जीएसवी ने अपने विमानन इंजीनियरिंग कार्यक्रम में विशेष लीप इंजन पाठ्यक्रमों को एकीकृत किया है, जिससे छात्रों को अत्याधुनिक एयरोइंजन प्रौद्योगिकियों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। उन्होंने गतिशक्ति विश्वविद्यालय की प्रगति की जानकारी देते हुए यह भी बताया कि एयरबस और GSV सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए जॉइंट स्टडी करेंगे। वडोदरा मंडल के रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने माननीय रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह को प्रेजेंटेशन के माध्यम से वडोदरा मंडल की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी दी। श्री भडके ने पैसेंजर रिवेन्यू , टिकट चेकिंग आदि में मंडल द्वारा अर्जित गए नए कीर्तिमान, मंडल में लोडिंग के नए ट्रैफिक, गैर किराया राजस्व के जरिये यात्री सुविधाओं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत सामाजिक संघटनों एवं गैर सरकारी संघटनों द्वारा उपलब्ध कराई गयी यात्री सुविधाओं आदि की जानकारी दी।

श्री भडके ने दिवाली और छठ पर यात्री सुविधाओं के लिया मंडल द्वारा किये गए क्राउड मैनेजमेंट एवं M-UTS जैसे अन्य विशेष प्रयासों तथा जनप्रतिनिधियों के मांग पर मंडल द्वारा शुरु की गयी नयी ट्रेनों एवं विभिन्न स्टेशनों के अतिरिक्त स्टॉपेज की भी जानकारी दी। उन्होंने माननीय रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मंडल के स्टेशनों पर चल रहे कार्यों एवं मंडल पर चल रही विकास परियोजनाओं से भी अवगत कराया।

इस बैठक में गतिशक्ति विश्वविद्यालय के वाईस चांसलर श्री मनोज चौधरी सहित संकाय सदस्यों, वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

"नक्सल मोर्चे पर बड़ी दरार: एमएमसी समिति के 11 इनामी नक्सलियों ने हथियार डाले, संगठन में मची हलचल"

(जीएनएस)। गोंदिया की धरती ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण मोड़ देखा—वो मोड़, जिस पर हिंसा की अंधेरी राह छोड़कर 11 कुख्यात और इनामी नक्सलियों ने मुख्यधारा की ओर कदम बढ़ाया। ये वही नक्सली थे, जिनके नाम सुनकर कभी पुलिस दस्ते सतर्क हो जाते थे, गांव के लोग सिहर उठते थे और जिनकी तलाश में कई राज्यों की सुरक्षा एजेंसियां महीनों तक जंगलों की खाक छानती रहती थीं। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई थी। हथियारों से भरी वो मुट्ठियाँ अब आत्मसमर्पण के संकेत में खुल रही थीं।

महाराष्ट्र–मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़ (एमएमसी) विशेष प्रादेशिक समिति के ये सदस्य वर्षों तक जंगलों में सक्रिय रहे। इन पर महाराष्ट्र सरकार ने कुल 89 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था—जिसमें सिर्फ एक नाम सबसे ऊपर था: अनंत उर्फ़ विकास नागपुरे उर्फ नवज्योत, जो संगठन की स्पेशल जोनल कमेटी का प्रमुख चेहरा था और जिसके सिर पर अकेले 25 लाख रुपये का इनाम रखा गया था। अनंत का आत्मसमर्पण न सिर्फ बड़ा झटका है, बल्कि यह संकेत भी कि नक्सल संगठन की आंतरिक संरचना तेज़ी से ढह रही है।

सुरक्षा अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करते समय इन नक्सलियों ने सात हथियार और पर्याप्त मात्रा में गोला-बारूद सौंपा। डीआईजी अंकित गोयल के अनुसार यह घटनाक्रम सिर्फ पुलिस की रणनीति का परिणाम नहीं, बल्कि "समन्वित पुलिसिंग और विश्वास बहाली कार्यक्रमों की सफलता" का प्रमाण है। हाल के महीनों में पुलिस और स्थानीय प्रशासन की 'पहुंच' नीतियों ने कई गांवों, आदिवासी क्षेत्रों और नक्सली प्रभावित इलाकों में विश्वास का नया पुल बनाया है।

आत्मसमर्पण की कहानी और पृष्ठभूमि

एमएमसी समिति के प्रवक्ता अनंत ने 27 नवंबर को ही प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी कि पूरी समिति 1 जनवरी 2026 तक सामूहिक आत्मसमर्पण करेगी। यह घोषणा नक्सल आंदोलन में अभूतपूर्व थी, क्योंकि इससे पहले कभी इतने बड़े स्तर पर सामूहिक आत्मसमर्पण की सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई थी।

लेकिन शुक्रवार की घटना इस घोषणा से भी आगे निकल गई—समिति के 11 सदस्य निर्धारित तारीख से काफी पहले ही हथियार छोड़ने आ गए। सुरक्षा विशेषज्ञ इसे दो कारणों से जोड़कर देखते हैं:

1. बीते एक वर्ष में सुरक्षा बलों की बढ़ी सक्रियता, जिसके दौरान आंदोलन के कई वरिष्ठ नेता मुठभेड़ों में मारे गए।
2. भूपति और चंद्रन्ना जैसे शीर्ष नेताओं के आत्मसमर्पण, जिन्होंने बाकी कैडरों के मन से डर की दीवार गिरा दी।

अनंत का संदेश भी काफी स्पष्ट था—"01 जनवरी तक कोई हिंसा नहीं होगी, और सभी प्रक्रियाएँ पूरी की जाएंगी।" इसका मतलब यह है कि संगठन के भीतर एक संवाद चल रहा है और उनका झुकाव आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहा है।

सालों से दंडकारण्य क्षेत्र नक्सल आंदोलन का कोर रहा है। इसी ढांचे की दूसरी शाखा, एमएमसी समिति, बेहद प्रभावशाली मानी जाती है। कभी मिलिंद तेलतुंबडे जैसे चर्चित नेता इसे दिशा देते थे। अब इसका नेतृत्व केंद्रीय समिति सदस्य रामधेर के पास है।

लेकिन 11 वरिष्ठ और इनामी नक्सलियों के एक साथ आत्मसमर्पण ने न सिर्फ एमएमसी के ढांचे में भारी कमज़ोरी पैदा की है, बल्कि आने वाले महीनों में और बड़े कदमों का संकेत भी दे दिया है।

आत्मसमर्पणकर्ताओं ने एक दिलचस्प शर्त भी रखी है—वे अंतिम और औपचारिक आत्मसमर्पण महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश या छत्तीसगढ़ के किसी एक मुख्यमंत्री के सामने करना चाहते हैं। उनके अनुसार यह सार्वजनिक और सम्मानजनक मंच उन्हें और अधिक लोगों को मुख्यधारा में आने के लिए प्रेरित करेगा।

चिंतन शिविर – 2025 समापन

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के श्रेष्ठ जिला कलेक्टरों तथा जिला विकास अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए

वर्ष 2024-2025 दौरान की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 4 आईआईएस अधिकारियों का "कर्मयोगी पुरस्कार" से सम्मान

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने धरमपुर स्थित श्रीमद राजचंद्र आश्रम में आयजित तीन दिवसीय 12वें चिंतन शिविर के शनिवार को समापन दिवस पर वर्ष 2024 से 2025 के दौरान उत्कृष्ट प्रशासनिक सेवाओं के लिए 4 आईआईएस अधिकारियों को कर्मयोगी पुरस्कार प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में ये पुरस्कार दिए। जिन आईआईएस अधिकारियों को यह कर्मयोगी सम्मान मिला है, उनमें वलसाड के तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री नैमेष दवे, पाटण के तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री अरविंद वी., मोरबी के तत्कालीन जिला विकास अधिकारी श्री जे. एस. प्रजापति और आणंद के तत्कालीन जिला विकास अधिकारी श्री मिलिंद बापना शामिल हैं।

इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कृत को 51 हजार रुपए का नकद पुरस्कार और वे हाल में जिस जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हों, उस जिले के विकास के लिए 40 लाख रुपए का प्रोत्साहक अनुदान दिया गया।

प्रशासन में आधुनिक उपकरणों का उपयोग, नवीनतम योजनाओं-कार्यक्रम और अन्य मानदंडों को ध्यान में रखकर सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत समाविष्ट

किए गए 'की परफॉर्मेंस इंडिकेटर' (केपीआई) के आधार पर राज्य के प्रशासन में गतिशीलता लाने एवं सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले जिला कलेक्टरों और जिला विकास अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2005 से जिला कलेक्टरों/जिला विकास अधिकारियों को कर्मयोगी पुरस्कार देने की योजना शुरू की गई है।

इस योजना के अंतर्गत जिला कलेक्टरों के लिए 81 केपीआई तथा जिला विकास अधिकारियों के लिए 73 केपीआई तय किए गए हैं। इस योजना में श्रेष्ठ जिला कलेक्टर/श्रेष्ठ जिला विकास अधिकारी के लिए कुल 100 गुण में से विभागों तथा मुख्य सचिव द्वारा उनकी कार्यक्षमता के मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकार को जो भी सिफारिशें की जाती हैं, उनके आधार पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस योजना अंतर्गत दो श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें एक; 15 लाख से अधिक जनसंख्या और महानगर पालिका क्षेत्र वाले जिले तथा दूसरी; 15 लाख तक की जनसंख्या वाले जिले।

12वें चिंतन शिविर के समापन दिवस पर प्रत्येक श्रेणी में दो कलेक्टरों और दो जिला विकास अधिकारियों सहित कुल मिलाकर चार आईआईएस अधिकारियों को वर्ष 2024-25 के लिए पुरस्कार दिए गए।

"भारत पर छाया नया आतंकी साया: आईएसआई की चालें तेज, इंडियन मुजाहिदीन को फिर जिंदा करने की साज़िश"

(जीएनएस)। नई दिल्ली की सर्द सुबहों में जब आम लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, उसी समय सुरक्षा एजेंसियों की टेबलों पर रखी फाइलों में एक नई चिंता आकार ले रही थी। राजधानी में लाल किले के पास हाल ही में हुई रहस्यमयी विस्फोट की घटना ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) को गहरे स्तर पर झकझोर दिया है। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी—यह संकेत था कि कहीं बाहर, भारत की स्थिरता और शांति के खिलाफ पुराने भटके हुए हाथ फिर से सक्रिय होने लगे हैं। आईबी के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब नई रणनीति के साथ भारत में आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रही है। बीते वर्षों में कई बड़े आतंकी ढांचे ध्वस्त किए गए, कई मॉड्यूल पकड़े गए, और कई संगठन प्रतिबंधित हुए। लेकिन आतंकवाद की दुनिया कभी खाली जगह को खाली नहीं रहने देती—उसे भरने की कोशिशें लगातार जारी रहती हैं। यही कोशिश अब इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) को नए स्वरूप में पुनर्जीवित करने की दिखाई दे रही है। यह कहानी नए नहीं, पुराने किरदारों के साथ आगे बढ़ रही है। सिमी पर प्रतिबंध लगने के बाद रियाज और इक़बाल भटकल पाकिस्तान जाकर ऐसे छिप गए जैसे बादल पहाड़ों के पीछे। वहीं से उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन की नींव रखी थी। अब आईएसआई, इन भटकल बंधुओं को एक नए मॉडल, नए नाम और नई संरचना के साथ फिर से भारत में झोंकने की कोशिश कर रही है। आईएम के कई चेहरे आज भी कानून के शिकंजे से बाहर हैं, और कई राज्यों में उसका पुराना नेटवर्क नींद में पड़ा हुआ है, जिसे अब जगाया जा सकता है।

12वाँ चिंतन शिविर – 2025, धरमपुर का समापन समारोह

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का 'विकसित गुजरात@2047' के लिए 'अर्निंग वेल-लिविंग वेल' के दो स्तंभों पर आधारित विकास यात्रा को गति देने के लिए 'थिंकिंक वेल-डूइंग वेल' का भाव जगाने का आह्वान

मुख्यमंत्री का कुपोषण के विरुद्ध सामूहिक अभियान शुरू करने का संकल्प

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- गुजरात समग्र देश के लिए विकास का रोल मॉडल बना, इसका श्रेय हमारे सामूहिक चिंतन तथा लोगों का भला करने की इच्छाशक्ति को जाता है
- अधिकारी ऑनरशिप के साथ पूर्ण समर्पण, दायित्व एवं लोक हित की प्रतिबद्धता से कार्यरत रहें
- केवल फाइल वर्क से संतोष न मानते हुए नियमित फील्ड विजिट तथा वास्तविक समस्याओं का सूझ-बूझ से सामना करने की पहल वृत्ति कार्यक्षमता को अनेक गुना बढ़ाएगी

-: उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी :-

- चिंतन शिविर के विभिन्न विषयों पर गंभीरतापूर्वक चिंतन एवं मनन से सुदूरवर्ती मानव के कल्याण तथा राज्य की विकास यात्रा को गतिमान बनाने का मार्ग स्थापित करें
- चिंतन शिविर से कुछ नया सीखकर लोगों के कल्याण के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करें

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे सभी 'विकसित गुजरात@2047' के लिए 'अनिंग वेल-लिविंग वेल' के दो स्तंभों पर आधारित विकास यात्रा को और गति देने के लिए 'थिंकिंग वेल-डूइंग वेल' का भाव जगाएँ।

श्री पटेल ने वलसाड जिले में धरमपुर स्थित श्रीमद् राजचंद्र आश्रम में 'सामूहिक चिंतन से सामूहिक विकास की ओर' थीम के साथ आयोजित 12वें चिंतन शिविर का शनिवार को समापन कराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 'विकसित भारत@2047' के संकल्प में गुजरात को अग्रसर रखने का जो रोडमैप हमने लोगों के लिए 'अनिंग वेल-लिविंग वेल' मंत्र के साथ तैयार किया है, उसे यह चिंतन शिविर 'थिंकिंग वेल-डूइंग वेल' के भाव से वैचारिक कलेवा प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों से कहा कि वे कर्तव्यों तथा विभागों की जिम्मेदारी ऑनरशिप, पूर्ण समर्पण, दायित्व एवं लोक हित की प्रतिबद्धता के साथ निभाएँ। उन्होंने कहा कि हम जहाँ हों, वहाँ अपना श्रेष्ठ कार्य निष्पादन देकर राज्य के विकास में आम आदमी के सुख-सुविधा के कार्यों में कार्यरत रहेंगे, तभी आत्मसंतोष मिलेगा।

उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि केवल फाइल वर्क करके संतोष न मानते हुए नियमित रूप से फील्ड विजिट, स्थल पर उपस्थिति, वास्तविक समस्याओं का सूझ-बूझ से सामना करने की पहल वृत्ति और लोक हित एवं कल्याण के लिए संवेदना जगाकर कार्यक्षमता में अनेक गुना वृद्धि हो सकती है और हमारे द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन से विकास की सच्ची दिशा निर्धारित हो सकती है।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2003 में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में शुरू कराए गए चिंतन शिविर की उत्तरोत्तर सफलता में टीम गुजरात का परिश्रम और जन हित का सामूहिक चिंतन फलदायी रहा है। 2003 के प्रथम चिंतन शिविर में श्री मोदी ने प्रेरणा दी थी, "हमारा दृष्टिकोण एकीकृत हो, गाँवों को गरीबी से बाहर निकालें और एक भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे न रहे। आज जब भारत 21वीं शताब्दी की ओर अग्रसर है, तब इस शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाने में हम सबकी ओर से कुछ योगदान होना चाहिए। यह केवल राजनीतिक या ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मानवजाति के उत्थान का एक छोटा प्रयास है।"

इस बात का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'जो कहना, वह करना' का मंत्र अपनाया है और यह बात साकार करते हुए वे करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर आए हैं तथा भारत तीसरी बड़ी आर्थिक महासत्ता बनने जा रहा है। गुजरात में हमने उनके दिशादर्शन में सर्वांगीण विकास की गति तेज बनाकर प्रतिव्यक्ति आय को पिछले ढाई दशक में 19823 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख 22 हजार रुपए तक पहुँचाया है।

श्री पटेल ने तीन दिवसीय चिंतन शिविर के विभिन्न चर्चा सत्रों में हुए सामूहिक विचार-मंथन से मिले सुझावों पर वास्तविक क्रियान्वयन से सर्वांगीण विकास के लिए टीम स्पिरिट के साथ कार्यरत होने का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कुपोषण के विरुद्ध सामूहिक अभियान शुरू करने का संकल्प व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने चिंतन शिविर में समूह चर्चाओं में आए विषयों पर हुए कामकाज के समय-समय पर मूल्यांकन और आगामी चिंतन शिविर में नई ऊर्जा तथा अधिक ऊँचे विकास लक्ष्यों के साथ मिलने की अपेक्षा व्यक्त की।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने चिंतन शिविर के विभिन्न विषयों पर गंभीरतापूर्वक चिंतन एवं मनन से सुदूरवर्ती मानव के कल्याण तथा राज्य की विकास यात्रा को गतिमान बनाने का मार्ग स्थापित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि शिविर में हुई उदार मन से एवं पारदर्शी चर्चाएँ राज्य के विकास के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगी। यह जरूरी है कि तीन दिवसीय सामूहिक मनोमंथन से तैयार हुए मुद्दे केवल आर्काइव में ही न रहें, बल्कि उनका उचित डॉक्यमेंटेशन हो, जिसका सीधा लाभ गुजरात के आम नागरिकों को मिले।

श्री संघवी ने चिंतन शिविर से कुछ नया सीखकर लोगों के कल्याण के लिए जमीनी स्तर पर कार्यरत रहने का अनुरोध करते हुए कहा कि केवल सचिवालय स्तर पर ही नहीं, बल्कि ठेठ जिला प्रशासन तक शिविर की फलश्रुति पहुँचाएँ।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि श्रीमद् राजचंद्र आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में आयोजित हुआ चिंतन शिविर सभी नागरिकों के हित और किसी गरीब के आँसू पोंछने का संवेदनापूर्ण माध्यम बनेगा। उन्होंने शिविर के आयोजन में सहयोग देने के लिए राजचंद्र मिशन का आभार व्यक्त किया।

तीन दिवसीय चिंतन शिविर के समापन अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, वरिष्ठ सचिव, जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण प्रभाग के सचिव श्री हारित शुक्ला ने इस शिविर की सफलता के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

दिल्ली के तिगरी एक्सटेंशन में आग की भीषण घटना: चार मंजिला इमारत में तीन की मौत, कई झुलसे, इलाके में दहशत फैल गई

(जीएनएस)। दिल्ली के संगम विहार क्षेत्र के तिगरी एक्सटेंशन में मंगलवार शाम को एक चार मंजिला इमारत में भयानक आग लग गई, जिसने पूरे इलाके को घबराहट में डाल दिया। हादसा करीब शाम 6 बजकर 24 मिनट पर हुआ, जब पुलिस को पीसीआर कॉल के माध्यम से आग लगने की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही तिगरी थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया था। जानकारी के अनुसार, आग की शुरुआत इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक फुटवियर दुकान से हुई थी। देखते ही देखते आग ने तेजी पकड़ ली और ऊपर की मंजिलों तक फैल गई। दमकल और पुलिस की टीमों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। जब दमकलकर्मी इमारत के अंदर पहुंचे, तो तीन लोगों को मृत पाया गया, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दमकल विभाग ने मौके पर चार गाड़ियों के साथ आग पर काबू पाने

की कोशिश की और लगभग डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका। इमारत और आसपास के घरों को एहतियातन खाली कराया गया ताकि आग फैलने का खतरा रोका जा सके। पुलिस और फायर विभाग की प्रारंभिक जांच में आग शॉर्ट सर्किट से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक इसका कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला है। मृतकों की पहचान की जा रही है और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। प्रशासन ने कहा कि पूरी जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आग कैसे लगी और किन कारणों से इतनी भीषण आपदा हुई। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा सदमा और दहशत है। कई निवासियों ने बताया कि इलाके में दुकानों और घरों में विद्युत तारों की स्थिति काफी खराब है, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं की आशंका पहले से बनी रहती है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को नियमित जांच और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सकें। यह हादसा न केवल मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा साबित हुआ है बल्कि स्थानीय निवासियों में सुरक्षा और अव्यवस्था को लेकर भारी चिंता भी पैदा कर दिया है। प्रशासन और फायर विभाग इस बात का संज्ञान ले रहे हैं कि कैसे बिजली और भवन सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही आसपास के इलाकों में आग फैलने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों पर भी काम किया जा रहा है।

कन्नौज में जायदाद के लालच ने सात साल के प्रेम को बनाया दुखद कहानी, महिला अपने बच्चे के साथ न्याय की तलाश में भटक रही

(जीएनएस)। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सात साल तक प्यार में विश्वास करने वाली एक युवती अब अपने मासूम बच्चे के साथ दर-बदर भटक रही है। मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के गोग्रेशिगंज मोहल्ले का है। पीड़िता का आरोप है कि उसके प्रेमी ने जायदाद की लालच में उसे और उनके बच्चे को छोड़ दिया और अब दूसरी शादी करने जा रहा है। इस धोखे और मानसिक पीड़ा के बाद महिला न्याय की गुहार लेकर थानों और अफसरों के चक्कर काटने को मजबूर है। पीड़िता ने बताया कि करीब सात साल पहले राहिल सक्सेना नाम के युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाया। शुरू में उसने दोस्ती से इनकार किया क्योंकि वह अकेली थी और किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन युवक के लगातार दबाव और जोर-जबरदस्ती के चलते वह उसके साथ रहने को मजबूर हो गई। दो साल बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे-धीरे युवक और उसके परिवार के रवैये में बदलाव आने लगा।

महिला का आरोप है कि कुछ महीनों पहले युवक के पिता ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर युवक युवती के साथ रहेगा तो उसे जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। इसके चलते प्रेमी ने पीड़िता को घर से निकाल दिया और अपनी दूसरी शादी तय कर ली। पीड़िता ने बताया

कि युवक की नई शादी 5 दिसंबर को फिक्स कर दी गई थी। जब उसने इसका विरोध किया, तो उसे घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया।

अब पीड़िता अपने बच्चे के साथ भटक रही है और कई बार छिबरामऊ कोतवाली पहुंचकर शिकायत करने के बावजूद उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मंगलवार को पीड़िता कन्नौज पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार से मिली और रोते हुए न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, "अब मुझे और मेरे बच्चे को न्याय चाहिए। मैं सड़क पर नहीं रह सकती।"

कन्नौज पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता को संबंधित थाने में कार्यवाही के लिए भेजा। हालांकि पीड़िता का आरोप है कि छिबरामऊ पुलिस उसकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे वह लगातार ठोकरें खा रही है। यह मामला न केवल महिला और उसके बच्चे के अधिकारों का सवाल है, बल्कि समाज में नारी सुरक्षा, धोखाधड़ी और संपत्ति के लालच के चलते उत्पन्न होने वाले संकट की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। अब यह देखना बाकी है कि प्रशासन इस पीड़ित मां और उसके बच्चे को न्याय दिलाने में कितने सक्षम और तत्पर रहता है, और क्या उनका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि लंबे समय तक विश्वास और प्रेम में बंधी महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी और सामाजिक तंत्र कितना सक्षम है। पीड़िता की गुहार न्याय और सुरक्षा की प्रतीक्षा करती रहेगी, जब तक कि राज्य प्रशासन और पुलिस उसे उचित राहत और संरक्षण प्रदान नहीं करते।

अलवर में पुलिसकर्मी की दूसरी शादी में पहली पत्नी की दखल, बाथरूम में छिपा दूल्हा और दुल्हन, होटल में मचा हड़कंप

(जीएनएस)। राजस्थान के अलवर जिले में एक पुलिसकर्मी की दूसरी शादी का मामला हाई वोल्टेज ड्रामा बन गया, जब उसकी पहली पत्नी मौके पर पहुंच गई और सारी व्यवस्था तहस-नहस कर दी। शुक्रवार को अंबेडकर नगर क्षेत्र के एक होटल में कांस्टेबल जयकिशन की दूसरी शादी चल रही थी। जयकिशन पहली पत्नी रीना को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने जा रहा था। शादी के बीच रीना अपने भाई भूपेंद्र के साथ अचानक शादी स्थल पर पहुंच गईं। होटल में आते ही हड़कंप मच गया और शादी का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान जयकिशन और उसकी होने वाली दुल्हन मौके की नाजुक स्थिति को भांपते हुए बाथरूम में छिप गए। पुलिस ने दोनों को बाथरूम से बाहर निकाला और उन्हें पाबंद किया। रीना ने बताया कि जयकिशन ने उनके बीच हुए रिश्ते और विवाहिक जिम्मेदारियों को लगातार नजरअंदाज किया। शादी के छह साल बाद ही जयकिशन को रामगढ़ में एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था। इसके बावजूद रीना ने अपने बच्चों और रिश्ते की जिम्मेदारी निभाते हुए पति के साथ संबंध तोड़े बिना मायके में रहना जारी रखा।

रीना के भाई भूपेंद्र ने बताया कि जयकिशन पहले रेणी थाने में तैनात था, जहां उसका

एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। उसी लड़की से वह शुक्रवार को शादी करने जा रहा था। रीना ने बताया कि वह पिछले आठ वर्षों से बच्चों के साथ अपने मायके में रह रही हैं, लेकिन हमेशा उम्मीद करती रही कि एक दिन पति अपने गलत रास्ते छोड़कर अपने परिवार के पास लौटेंगे।

जयकिशन ने पुलिस और मीडिया से कहा कि वह शादी के लिए होटल नहीं आया था, बल्कि सिर्फ बातचीत करने आया था। हालांकि, इस पूरे मामले ने न केवल पुलिसकर्मी की निजी जिंदगी को सार्वजनिक विवाद में बदल दिया, बल्कि यह सवाल भी खड़ा किया कि बिना तलाक दूसरी शादी करने का प्रयास कानूनी और सामाजिक दृष्टि से कितना उचित है।

इस घटना ने इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है और समाज में विवाह और निष्ठा जैसे मूल्यों पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। वहीं, पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई और जांच में जुटी हुई है ताकि शादी में हुई अनियमितताओं और झगड़े की पूरी सच्चाई सामने आ सके।

रीना का संघर्ष और बच्चों के भविष्य की चिंता इस घटना को केवल व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि सामाजिक और कानूनी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बना देती है। घटना ने एक बार फिर यह दर्शाया कि बिना कानूनी प्रक्रिया और पारिवारिक जिम्मेदारी के विवाहिक फैसले परिवार और बच्चों की सुरक्षा के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं।

सारंडा जंगल में IED विस्फोट, पत्ते तोड़ने गई युवती की मौत, दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल

झारखंड। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा अंतर्गत सारंडा जंगल में शुक्रवार को नक्सलियों द्वारा बिछाए गए IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) के विस्फोट से एक युवती की मौत हो गई और दो अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। यह दुखद घटना जराईकेला थाना क्षेत्र के कोलबोगा जंगल में हुई, जहां स्थानीय महिलाएं पत्ते तोड़ने गई थीं। मृतक युवती की पहचान फूलों धनवार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों और पुलिस के अनुसार, फूलों धनवार और दो अन्य महिलाएं—शालिनी कांडुलना और बरसी धनवार—सारंडा जंगल के लेब्रा गाढ़ा क्षेत्र में पत्ते तोड़ने गई थीं। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा जमीन में छिपाकर रखे गए IED पर उनका पैर पड़ गया, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय पुलिस व सुरक्षा बलों को घटना की जानकारी दी गई। घायल महिलाओं को तुरंत रेस्क्यू कर मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मृतक युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

सुरक्षा बलों ने बताया कि झारखंड के सारंडा जंगल में नक्सलियों द्वारा IED ब्लास्ट की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। इसी जिले में 11 अक्टूबर 2025 को हुए एक पूर्व हादसे में सीआरपीएफ 60 बटालियन के हेड कॉन्स्टेबल महेंद्र लश्कर शहीद हो गए थे, जबकि इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा का इलाज के दौरान निधन हो गया था। उस घटना में एक जवान रामकृष्ण गागराई भी गंभीर रूप से घायल हुआ था।

स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने नागरिकों से जंगल में अकेले न जाने की चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने कहा कि सारंडा जंगल में नक्सली लगातार IED ब्लास्ट लगाकर आम नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, जिससे क्षेत्र में सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने ग्रामीणों से सहयोग की अपील की है और सुरक्षाबलों को इस क्षेत्र में पैट्रोलिंग तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय लोगों में घटना के बाद डर और आक्रोश दोनों देखा गया। कई ग्रामीणों ने कहा कि महिलाएं जंगल में रोजी-रोटी और पारंपरिक कामों के लिए जाती हैं, लेकिन नक्सलियों के लगातार खतरों के कारण उनका जीवन असुरक्षित हो गया है। अधिकारी भी मानते हैं कि सारंडा जंगल नक्सली गतिविधियों का गढ़ बना हुआ है और इसे पूरी तरह नक्सलमुक्त करने के लिए सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं।

इस घटना ने एक बार फिर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा कर दिया है और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता को उजागर किया है।

कफ सिरप तस्करी मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जताई सफाई, राजनीतिक साजिश करार दिया आरोप

(जीएनएस)। जौनपुर। प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी और अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद उठे विवाद में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने खिलाफ उठाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। मामले में उनका नाम आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट किया कि यह राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और उनके खिलाफ बेवजह प्रचार किया जा रहा है। शनिवार को फेसबुक पर अपने संदेश में धनंजय सिंह ने कहा कि कुछ राजनीतिक विरोधी और दल के लोग पत्रकारों को भ्रमित कर उनका नाम इस प्रकरण में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला वाराणसी क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन इसे राजनीतिक रूप देने और प्रधानमंत्री की छवि को प्रभावित करने के लिए विभिन्न दल इसे तूल दे रहे हैं। पूर्व सांसद ने साफ कहा कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास पूरी तरह निराधार है और इसमें उनका कोई वास्तविक संबंध

नहीं है।

धनंजय सिंह ने सीबीआई जांच की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कई एजेंसियों के माध्यम से मामले की गंभीर जांच करा रही है, लेकिन न्याय की वास्तविक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि पूरे मामले की केंद्रीय जांच एजेंसी के जरिए निष्पक्ष जांच कराई जाए। उनका कहना था कि इससे न केवल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी बल्कि झूठे आरोपों की वास्तविकता भी सामने आएगी।

पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि वह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की मांग करेंगे। उनका विश्वास है कि जैसे ही जांच पूरी होगी और तथ्यों का खुलासा होगा, उनकी छवि पर लगे आरोप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस प्रकार के मामले अक्सर चुनाव और स्थानीय राजनीतिक सरगर्मियों में इस्तेमाल होते हैं, और किसी भी दावे पर निर्णय लेने से पहले सत्यापन और जांच अनिवार्य है। धनंजय सिंह की सफाई ने स्पष्ट किया कि वे मामले में सक्रिय रूप से न्याय और पारदर्शिता की दिशा में कदम उठाने के पक्ष में हैं और आरोपों के राजनीतिक रंग देने के प्रयासों को खारिज किया।

मौलाना मदनी ने जिहाद को बताया पवित्र कर्तव्य, बोले- 'जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद होगा'; भाजपा और वीएचपी ने जताई कड़ी आपत्ति

(जीएनएस)। भोपाल। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने अपने हालिया बयान को लेकर फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाया कि कई मामलों में अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं और इस संदर्भ में बाबरी मस्जिद, तलाक व ज्ञानवापी-मथुरा जैसे मामलों का जिक्र किया। मदनी ने कहा कि इस्लाम के दुश्मनों ने 'जिहाद' शब्द को हिंसा के पर्याय के रूप में पेश कर दिया है, जबकि असल में जिहाद का अर्थ समाज और इंसानियत के उत्थान और जुल्म के खात्मे के लिए किया गया पवित्र कर्तव्य है।

भोपाल में जमीयत की गवर्निंग बॉडी की बैठक में उन्होंने साफ कहा, "जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद होगा। जिहाद किसी व्यक्तिगत बदले या निजी कार्यवाही के लिए नहीं, बल्कि शरीयत के तहत स्थापित सरकार के आदेश पर ही किया जा सकता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक मुल्क में, जहां इस्लामी

रियासत की कल्पना ही नहीं की जा सकती, जिहाद बहस का मुद्दा नहीं है।" उनके इस बयान के बाद बैठक में मौजूद लोगों ने 'अल्लाह हू अकबर' के नारे भी लगाए।

मदनी ने वंदे मातरम और राष्ट्रवादी प्रतीकों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुर्दा कौम आसानी से सरेंडर कर देती है, लेकिन जिंदा कौम को हालात का सामना करना पड़ता है। उनके बयान ने भाजपा और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी।

भाजपा ने कहा कि मदनी का बयान सुप्रीम कोर्ट के अपमान के बराबर है और यह देश की सुरक्षा तथा सामाजिक शांति के लिए खतरनाक है। भाजपा ने शीर्ष अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की और इसे भड़काऊ बयान करार दिया। वहीं, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने मदनी की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि यह समाज में तनाव फैलाने और देश की एकता को चुनौती देने वाला है। बंसल ने सवाल उठाया कि दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों पर किस अत्याचार का हवाला दिया जा रहा है, और कहा कि मदनी खुलेआम हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

इस बीच, मदनी के बयान ने एक बार फिर धार्मिक और राजनीतिक बहस को उभारा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक मंच पर जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग संवेदनशील विषय है और इसे जिम्मेदारी से ही समझाया जाना चाहिए। इस बयान के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि यह देश की धार्मिक एकता और न्यायिक प्रक्रिया पर सीधे सवाल खड़ा करता है।

"एचडीएफसी बैंक पर 91 लाख रुपये का जुर्माना, आरबीआई ने केवाईसी और नियामकीय उल्लंघन को ठहराया गंभीर"

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक एचडीएफसी बैंक पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंक द्वारा केवाईसी (Know Your Customer) मानकों और बैंकिंग विनियमन कानून के कुछ प्रावधानों का पालन सही तरीके से न करने पर की गई। केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह उल्लंघन गंभीरता का मामला है और इसके लिए दंड आवश्यक था। आरबीआई के अनुसार, बैंक ने कर्ज पर ब्याज दरों से संबंधित शर्तों, वित्तीय सेवाओं में जोखिम प्रबंधन, आचार संहिता और केवाईसी मानकों के अनुपालन में कई कमियां छोड़ी हैं। यह तथ्य 31 मार्च 2024 तक की अवधि में बैंक की वित्तीय स्थिति और प्रक्रियाओं की सांविधिक जांच के दौरान सामने आए। जांच के बाद बैंक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था।

बैंक द्वारा दिए गए जवाब और अतिरिक्त दस्तावेजों की समीक्षा के बाद आरबीआई ने उल्लंघनों की

पुष्टि की और मौद्रिक दंड लगाने का निर्णय लिया। आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा, बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना बैंक के किसी ग्राहक लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित नहीं करता। बैंक के ग्राहकों के लिए सभी सेवाएं और लेनदेन वैसे ही जारी रहेंगे, और उनके अधिकार एवं वित्तीय हित सुरक्षित रहेंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम अन्य बैंकों के लिए सावधानी और अनुपालन का संदेश है, ताकि वित्तीय प्रणाली में भरोसे और पारदर्शिता बनी रहे। एचडीएफसी बैंक ने भी अपने बयान में कहा कि बैंक ने आरबीआई के निर्देशों के अनुरूप सुधारात्मक कदम उठाए हैं और भविष्य में सभी नियमों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

"कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, कानपुर की राजनीति में एक युग का अंत"

(जीएनएस)। कानपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल का शुक्रवार को निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर मिलते ही कानपुर में शोक की लहर फैल गई और लाल बंगला पोखरपुर स्थित उनके निवास पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता, साथ ही फिल्म अभिनेता और गणमान्य नागरिक श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, महापौर प्रमिला पांडेय, अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल, अभिनेता रजा मुराद, सपा विधायक अमिताभ बाजपेई, भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी और कई अन्य राजनीतिक तथा सामाजिक हस्तियां उनके अंतिम दर्शन के लिए मौजूद रहीं। उनके लंबे राजनीतिक करियर और जनता में विशेष लोकप्रियता को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर उमड़े। श्रीप्रकाश जायसवाल का अंतिम संस्कार रविवार को आयोजित किया जाएगा। शव यात्रा मेस्टन रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय से

शुरू होकर भैरव घाट में अंतिम संस्कार तक जाएगी। श्रद्धांजलि देने आए नेताओं ने उनके व्यक्तित्व और कार्यशैली की सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि भले ही राजनीतिक मत अलग हो, लेकिन उनके साथ पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध रहे। अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने उन्हें कानपुर का मसीहा बताते हुए कहा कि उनका जाना शहर की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। अभिनेता रजा मुराद ने अपने व्यक्तिगत संबंध का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रीप्रकाश के चले जाने से वे अत्यंत भावुक हैं।

श्रीप्रकाश जायसवाल का राजनीतिक योगदान कानपुर के लिए महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने तीन बार लगातार 15 साल तक संसद में कानपुर का प्रतिनिधित्व किया और केंद्रीय कैबिनेट में राज्य, स्वतंत्र प्रभार एवं मंत्री के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनके कार्यकाल में जनता के बीच उनका विशेष प्रभाव रहा और वे लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे।

हालांकि नरेन्द्र मोदी की राजनीतिक लहर में वे अंत तक सक्रिय राजनीति में प्रमुख भूमिका नहीं निभा सके, लेकिन उनकी छवि और जनप्रियता कभी कम नहीं हुई। उनके निधन के साथ ही कानपुर की राजनीति में एक युग का अंत हुआ है। अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास पर भीड़ उमड़ रही है और शहर के लोग उनके योगदान को याद कर शोक प्रकट कर रहे हैं।

श्रीप्रकाश जायसवाल की गहरी समझ, निष्ठा और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें कानपुर की राजनीति का एक ऐसा चेहरा बनाया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

"बिहार बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित, फरवरी में होंगे इंटर और मैट्रिक के छात्र परीक्षा में शामिल"

(जीएनएस)। पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने वर्ष 2025-2026 सत्र के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2 से 13 फरवरी तक आयोजित होगी, जबकि मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक संपन्न होगी।

बीएसईबी ने इस बार कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इसके माध्यम से परीक्षा में गड़बड़ी पर रोक लगेगी और छात्रों को चैटबॉट के जरिए सभी आवश्यक सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि तकनीकी साधनों के प्रयोग से परीक्षा की प्रक्रिया और पारदर्शिता में सुधार होगा।

इस बार मैट्रिक और इंटर के परिणाम सबसे पहले जारी किए जाएंगे। अब तक 15,02,021 छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा के लिए आवेदन किया है, जबकि इंटरमीडिएट में 13,04,241 छात्रों ने फॉर्म भरा है। दोनों परीक्षाओं के लिए 3 दिसंबर तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

बीएसईबी का यह कदम छात्रों और अभिभावकों के लिए सुविधाजनक और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। बोर्ड ने सभी छात्रों को समय रहते फॉर्म भरने और परीक्षा की तैयारी में जुटने का आह्वान किया है।